

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: वह तो हम बोल चुके हैं।

उपसभापति: उस पर कुछ तो अमल हो जाना चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा: अब वह कितने पार्ट में बोलेंगे। एक दफा इट्ट हो गया, फिर आज थोड़ा बोलेंगे, फिर... (व्यवधान)

उपसभापति: आप कितना बोल दिये हैं। आपने कितना टाईम लिया था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: दस-बारह मिनट लिये होंगे।

उपसभापति: दस-बारह मिनट। आपकी पार्टी के चालीस मिनट है और दो नाम लिखे हैं — आपका नाम और कमल मोररका का।

श्री यशवन्त सिन्हा: नहीं, मालवीय जी ही बोलेंगे।

उपसभापति: आप अकेले ही बोल रहे थे। कमल मोररका नहीं बोलेंगे। तो आपके चालीस मिनट है। आप दस मिनट और बोल दीजिए, कम से कम सात बजे तक बैठ ही जायें हम लोग।

श्री यशवन्त सिन्हा: माने, तीन खंड में बोलें हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय उपसभापति जी, ... (व्यवधान)

उपसभापति: हां, इनकी ही बात कर रहे हैं। दूसरे कोई बोलना चाहेंगे, तो बोलें। उनको कोई मना थोड़े ही किया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: महोदया, कोई भी सरकार जो विधिसम्मत निर्वाचित होती है, उसका यह दायित्व होता है कि वह संविधान का पालन करे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have an appointment. I am coming back.

श्री यशवन्त सिन्हा: नहीं-नहीं आप हाऊस को एज़न कर दीजिए if this is the way we are going, to run the House. Even the press is not there, "Nobody" is there.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Just one minute.

SHRI YASWANT SINHA: I will just suggest this, Mr. Vice-Chairman. If this is the state of interest that we have in this debate, let us postpone it and resume tomorrow morning.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Yashwantji, the

Deputy Chairman has explained the whole position to you. Malaviyaji, you please continue.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, I cannot finish. The Deputy Chairman has already ruled that I should finish by 7 P.M. (Interruptions)... She has already ruled that I should finish by 7 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): You at least go according to the Deputy Chairperson's ruling. You continue up till 7 P.M. You will again get the opportunity if we adjourn the House today at 7 P.M.

#### MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई भी जो विधिवत् निर्वाचित सरकार है उसका दायित्व होता है कि वह संविधान का पालन करे, अपने वायदे का पालन करे, राज्य का जो कानून है उसका पालन करे और साथ-साथ जो न्यायालय के आदेश हैं उनका भी पालन करे। अयोध्या के मामले में 23 नवंबर, 1992 को प्रधान मंत्री जी ने यह स्वयं स्वीकार किया राष्ट्रीय एकता परिषद् की मीटिंग में कि विधिवत् निर्वाचित जो सरकार है जो कि अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रही है, अदालत के या न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही है, और इस चीज़ को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था और उसको मैं पढ़ना चाहूंगा 23 नवंबर, 1992 की नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिंह राव ने,

"We took note of the construction that was going on in violation of the orders of the court, in particular, the order passed by the High Court on 15th July, 1992. By this order of the 15 July, the High Court had restrained the parties from undertaking or continuing any construction activity on the 2.77 acres of land which had been notified by the Government of Uttar Pradesh for acquisition. The court had also directed that if it was necessary to do any construction on the land, prior permission from the

court would be obtained. The Chief Minister of Uttar Pradesh assured the National Integration Council that his Government was making sincere efforts to stop the construction. Despite the assurance given by the Chief Minister, the construction activity did not stop."

तो प्राइम मिनिस्टर जी के भाषण के उद्धरण में दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 जुलाई, 1992 को जो आदेश पारित किया था उस आदेश का उल्लंघन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और वहां पर जो निर्माण की गतिविधि है वह बराबर जारी है, मेरी शिकायत यह है कि जब नेशनल इंटीग्रेशन कांसिल की मीटिंग 23 नवंबर, 1992 को जो हुई उसमें प्रधान मंत्री जी ने यह स्वयं स्वीकार किया कि एक सरकार है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। तो उसी दिन उनको संविधान के अनुच्छेद 355 या 356 के अंतर्गत उनको कार्यवाही करनी चाहिए थी। फिर खुद उन्होंने कार्यवाही नहीं की और बाद में वे दोष दे रहे हैं संविधान के अनुच्छेदों को। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की इन्फर्मेशन मिनिस्ट्री की किताब है: "सैकुलर फोर्सेस मस्ट कम टूगेदर" इसमें श्री पी० वी० नरसिंह राव जी ने कहा है कि,

"The question is what has happened to the Constitution of India in this process? It lies shattered. What happens to Article 356? It lies shattered. I would like constitutional experts to go into it."

मेरी शिकायत सिर्फ यह है कि प्रधान मंत्री जी ने और केन्द्र सरकार ने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया और अब दोष वह दूसरे लोगों को दे रहे हैं। चाहे बी०जे०पी० को दे रहे हों और दोष दे रहे हैं संविधान को, दोष दे रहे हैं संविधान के प्रावधान 356 को और अगर समय रहते इन्होंने कार्यवाही की होती तो 6 दिसंबर की घटना नहीं होती। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी बराबर हिन्दू वोटों के लिए जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनसे समझौता कर रही है और यह एक एतिहासिक तथ्य है, एतिहासिक सत्य है कि जब-जब जिन-जिन तारीखों को अयोध्या से संबंधित घटनाएं हुईं उन दिनों केन्द्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी बराबर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वहां पर 23 दिसंबर, 1949 को गमलला की मूर्ति रखी गई और कांस्टेबल माता प्रसाद ने रिपोर्ट किया कि आज सवेरे मैं आठ बजे जब राम जन्म-भूमि पर पहुंचा तो पता चला कि 50-60 लोगों का एक गिरोह बाबरी मस्जिद अहाते के गेट का ताला तोड़ कर, अहाते की दीवार फांदकर उसमें घुस रहा है तथा भगवान की मूर्ति वहां स्थापित कर दी और दीवार पर

सीता राम लिख दिया। इधरी पर मौजूद जवान ने उनको रोका मगर वह नहीं माने। तत्काल जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डिप्टी कमिश्नर थे फैजाबाद के मि० नैय्यर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को एक रेडियोग्राम भेजा। जिसमें यह लिखा था कि चंद हिन्दू रात के वक्त बाबरी मस्जिद में सन्नाटा था, मस्जिद में प्रवेश कर वहां मूर्ति रख दी। जिला मैजिस्ट्रेट तथा सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। 15 पुलिसकर्मी वहां इधरी पर तैनात कर दिए गए हैं। तो मेरा यह कहना है कि जिस दिन यह घटना घटी 23 दिसंबर, 1949 को उस समय उत्तर प्रदेश में भी और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उनके चलते वहां पर मूर्ति रखी गई और वह मूर्ति वहां पर जबर्दस्ती, बलपूर्वक रखी गई। इसके बावजूद 1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया तो उस दिन भी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1989 में जब वहां पर शिलान्यास हुआ, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यही नहीं, 1991 में जब लोकसभा के चुनाव आरंभ हुए तो तत्कालीन प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने अयोध्या जाकर अपना चुनाव अभियान प्रारंभ किया और राम रज लाने का और राम रज का सपना साकार करने का नाप देते हुए उन्होंने अपना चुनाव आरंभ शुरू किया। तो उप-सभापति महोदय, 6 दिसंबर को जो घटना घटी, मेरा कहना है कि यह कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की मिलीभगत थी और उसी के कारण यह घटना घटी।

SHRI V. NARAYANASAMY: No. This is not correct. There was no understanding between the Congress party and the BJP. It is only the communal forces...*(Interruptions)*...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I was only trying to point out that on 6th of December whatever might have happened, the Congress party was in power...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: He is saying that the Congress party was a party to it...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Please don't disturb the speaker...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: You are on the panel of Vice-Chairman...*(Interruptions)*...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उपसभाध्यक्ष महोदय,

मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि संविधान को दोष देना अपनी अकर्मण्यता और अपनी निष्क्रियता को छिपाना है। संविधान में प्रावधान थे और अगर उस प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जाती तो यह घटना घटित नहीं होती। उप सभापति महोदय, उस समय जो हमारी कांस्टीट्यूशनल एसेंबली के अध्यक्ष थे जोकि बाद में इस देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए डा० राजेन्द्र प्रसाद, उन्होंने 26 नवंबर, 1949 को जिस दिन हमारा संविधान पारित किया गया, उस दिन उन्होंने अपने कनक्लूडिंग स्पीच में कहा था कि—

“Whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country will depend upon the way in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. It is a trite saying that a country can have only the Government it deserves. Our Constitution has provisions in it which appear to some to be objectionable from one point or another. We must admit that the defects are inherent in the situation in the country and the people at large. If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of affective Constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country. After all, a Constitution like a machine is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. There is a fissiparous tendency arising out of various elements in our life. We have communal differences and so forth. It requires men of strong character, men of vision, men who will not sacrifice the interests of the country at large for the sake of smaller groups and areas and who will rise over the prejudices which are born of these differences. We can only hope that the country will throw up such men in abundance.”

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो संविधान निर्माताओं की कल्पना थी, उसका पालन 6 दिसंबर को नहीं हुआ और उसके चलते 6 दिसंबर को न

केवल ढांचा ध्वस्त हुआ बल्कि संविधान की हत्या हुई, हमारा जो पंथ-निरपेक्ष चरित्र रहा है उसकी हत्या हुई, कानून के राज की हत्या हुई और साथ-ही-साथ जो न्यायालय का आदेश था उसकी भी हत्या हुई।

उपसभाध्यक्ष महोदय जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये लोग तो केवल हिंदू राष्ट्र के विचारों से प्रभावित हैं। इनका एक परिवार है, संघ परिवार और उस संघ परिवार में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वे शिव सेना के लोग हैं, लेकिन इनका जो गठबंधन है ऐसा लगता है कि इस गठबंधन के चलते एक बार फिर इस देश की जो राष्ट्रीय एकता है और अखंडता है, वह खतरे में है। इनकी जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, उपसभाध्यक्ष महोदय एक पुस्तिका है गुरु गोलवलकर जी की, बंच आफ कौट्स, उस पुस्तिका से मैं उद्धृत कर रहा हूँ क्योंकि उसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की और इस बात को कहा कि इस देश में केवल हिंदू रह सकते हैं, हिंदू के अलावा कोई दूसरा रहेगा तो उसको दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना पड़ेगा।—

7.00 P.M.

“From this standpoint sanctioned by the experience of the shrewd old nations, the non-Hindu people in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect, to revere, the Hindu religion, must entertain no idea but the glorification of the Hindu nation; that is they must not only give up their attitude of intolerance and ingratitude towards this land and its age-old traditions but must also cultivate the positive attitude of love and devotion; instead, in one word, they may stay in the country wholly subordinate to the Hindu nation claiming nothing, deserving no privileges, nor any preferential treatment, not even citizen's rights.”

इस कल्पना को कार्यान्वित करने के लिए, उनके जो विचार थे उनको कार्यान्वित करने के लिए इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश के अंदर घटी। और, उनका एक आर्टिकल है, जो 1939 में लिखा था उन्होंने।—Our nationhood defined by Shri Golwalkar—चार लाइन का है—

“In the land of the Hindus, should live the Hindu nation; only those movements are truly national,

which aim at revitalising and emancipating from its present stupor the Hindu nation. All others are either traitors and enemies to the national cause or to take a charitable view,....." etc.

तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि इस विचारधारा के चलते जो गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी का उससे यह घटना घटी और देश आज एक ऐसे कगार पर आ खड़ा हुआ है यहां से वापस नहीं होगा तो फिर एक बार बटवारे का खतप उत्पन्न हो सकता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अब खत्म करें।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी):** मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना बयान आज ही खत्म कर दें।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** डिप्टी चेयरमैन साहिबा कह गई थीं। फिर आज लंच भी नहीं हुआ। डिप्टी चेयरमैन व्यवस्था कर गई हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी):** आप आज ही खत्म कर दें ताकि कुछ और वक्ताओं को भी लिए जाने का प्रयास किया जाए। आप कृपया सहयोग करें। आप तो बड़े सम्मानित और सीनियर सदस्य हैं।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** नहीं, मान्यवर, कल के लिए रखें। अब खत्म करें, मान्यवर।

**श्री यशवन्त सिन्हा:** सर, कल रखें। अब एडजर्न करें।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी):** फिर मुझे तो सेन्स आफ द हाऊस लेना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं तो।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** डिप्टी चेयरमैन कह गई थीं। सात बज गए और फिर आज लंच भी नहीं हुआ था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): सर, यह तय हो गया था कि आठ बजे तक बैठना है। यह बिजनेस एवायजरी कमेटी ने तय किया था।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी):** चूंकि जो मंत्रणा हुई है उसमें यह बात तय हुई है कि हम आठ बजे तक बैठेंगे।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** अभी डिप्टी चेयरमैन उसी कुर्सी से कह गई हैं कि दस मिनट आप बोल लीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी):** नहीं, नहीं। उन्होंने तो आपके लिए कहा था कि आप दस

मिनट में खतम कर देंगे। तो दूसरों को भी मौका मिल जाएगा।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** नहीं, उन्होंने पूछा भी था और हमने कहा था कि चालीस मिनट। तो उन्होंने पूछा दूसरे स्पीकर को बोलना है। हमने कहा दूसरे स्पीकर कमल मोरारका फिर नहीं बोलेगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी):** मेरे पास अनुरोध यही है कि जो परिस्थितियां हैं उसके लिहाज से कल हमको इस मोशन को पास करना है।

**SHRI V. NARAYANASAMY:** Let us sit up to 8 o' clock....(Interruptions)

**SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:** I am on a point of order. When the Deputy Chairman was presiding, she gave a ruling that I was to speak for ten minutes and up to 7 o' clock. therefore, my submission is, please adjourn the House till tomorrow. We have skipped our lunch-break.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI):** Our hands are tied. You understand and you will appreciate it—you may not even know it—that we have to pass the motion tomorrow and we have a long list of speakers. So, please extend your cooperation and— I expect that you will try to under stand. Please conclude. A few other speakers may be given a chance to speak today.

**SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:** Heavens will not fall if we adjourn till tomorrow.

**उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी):** मालवीय जी, आप तो बहुत ही सीनियर मेम्बर हैं, इसलिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ।

**SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:** I am very sorry. you cannot overrule whatever the Deputy Chairman has said.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI):** I don't know in what context she said it. But as far as I understand, it was said that till 7 o' clock, you would speak...(Interruptions)

**SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:** you kindly go through the record. I was there. you weren't there.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI):** But the

supremacy of the House has to be taken. Even if some ruling about the running of the House has been given, if at this point of time, the Members feel that the House should sit a little further, I think we should have regard for the sentiments of the House. So, I request you. A few more speakers should be given a chance.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Then, I withdraw my name. I am walking out.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Please don't walk out.

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Vice-Chairman, there was a discussion in the Business advisory Committee. It is not proper to talk about what transpired in the Chamber. But, you know, we have to take not only the sense of the House but also the physical condition in which the House is. Look at what has happened here and look at what is happening in the Press gallery. When a Member speaks, he not only speaks for the posterity, but he speaks for the present also. If you carry on an important debate like the Motion of Thanks on the President's Address, the member cannot speak. If there is nothing, everything is empty, how does it inspire the speaker to speak? That is all the problem.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI S.B. CHAVAN): The only problem in that will be, the Prime Minister will have to reply by 5.00 p.m. tomorrow. That is the ceiling that we put and if all the other members do not want to participate, then we will have to reduce the number of members who will be speaking...(Interruptions).....

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Vice-Chairman in response to what the leader of house has said—it is not proper for me to refer to what had happened in the chamber—may I tell you that it was felt that if at all the time has to be

curtailed, it will be the ruling party's time because they are only keen that it should be finished by tomorrow. We have co-operated with them, we are prepared to co-operate with them, but not at the expense of the very limited time that we have...(Interruptions).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): So, again I request Malaviyaji to continue his speech. Mr. Malaviya, you can have your own time, say 10 or 15 minutes more and try to complete it...(Interruptions).....I understand that there is some physical tiredness and all that.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: लंच आंवर भी स्क्रिप करते हैं, स्पेशल मैशन भी नहीं होने देते, इसके बाद भी यह तो उचित नहीं है।... (व्यवधान)..... आज जो तय हुआ है, आज जो फैसला हुआ है, वे उसे कैसे जानेंगे जो यहाँ मौजूद नहीं थे।

SHRI YASWANT SINHA: Even Mr. Narayanasamy is walking out.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): No, he is not walking out...(Interruptions)....so, Malaviyaji, you do not want to continue further?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I want to continue further. But I request you to kindly adjourn the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): I think the other members are interested that the house should sit for half-an-hour or more...(interruptions).....So, if the sense of the House is that we should not sit further, I adjourn the House till 11.00 a.m. tomorrow.

The house then adjourned at seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 4th March, 1993.